राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 05/2023 अपील

1. कैलाश पिता भैरू गाडरी निवासी गांधीनगर गाडरी खेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
2. सुरेश पिता भैरू गाडरी निवासी गांधीनगर गाडरी खेडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
3. प्यारी पुत्री भैरू गाडरी निवासी गांधीनगर गाडरी खेडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
4. मांगी पत्नि भैरू गाडरी निवासी गांधीनगर गाडरी खेडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब भीलवाडा (राज०)
2. सचिव नगर विकास न्यास भीलवाडा (राज०)

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील अंन्तर्गत धारा 75 लेन्ड रेवेन्यू एक्ट
अपील विरुद्ध तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरण संख्या 1129 निर्णय दिनांक 03/02/1992

उपस्थित –

1. श्री मांगीलाल सेन, अपीलाण्ट अधिवक्ता
2. राजकीय पेरोकार, रेस्पोन्डेन्ट 1 व 2 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक :– 09/02/2026

अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट्स के विरूद्ध एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल की कृषि आराजी नम्बर 4551/3135 रकबा 6.02 छः बीघा दो बिस्वा भूमि स्थित है जिसके साबिक आराजी नम्बर 1669 रकबा 7.04 सात बीघा चार बिस्वा था जो कि सेटलमेन्ट के पश्चात् नये नम्बर 4551/3135 रकबा 6.02 बीघा दो बिस्वा कायम हुआ साबिक आराजी नम्बर 1669 रकबा 7.04 सात बीघा चार बिस्वा भूमि को अपीलार्थीगण के पिता भैरू पिता केला गाडरी ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06/05/1972 को विक्रमादित्य सिंह पिता मनमथ सिंह से

9.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया तभी से उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी के आदेश से भूमि अपीलार्थीगण के पिता भैरू पिता केला जी जाति गाडरी के नाम पर राजस्व अभिलेखो मे खातेदारी अधिकार से दर्ज की गई जो खातेदारी मे होकर कब्जे कास्त मे चली आ रही है उक्त भूमि का लगान की अदायगी भी अपीलार्थीगण करते आ रहे है किन्तु ग्राम पांसल के जागीरदार मनमथ सिंह के विरूद्ध एवं विक्रमादित्य सिंह पिता मनमथ सिंह के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही का प्रकरण संख्या 39/1973 निर्णय दिनांक 17/03/1975 को प्रदान किया जाकर दिनांक 06/05/1972 को किये गये विक्रय पत्रो को सद्भावी विक्रेता मानकर विक्रय की गई जिसे मान्यता प्रदान करते हुऐ सिलिंग कार्यवाही को समाप्त कर दिया जिसका प्रकरण राज्य सरकार द्वारा दिनांक 02/11/1981 को पुनः रिऔपन कर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की गई जिसके आधार पर प्रकरण संख्या 134/1981 मु०रे० प्रकरण दर्ज किया जिसका निर्णय दिनांक 30/12/1983 को पारित किया जिसमे विक्रमादित्य सिंह के पास 8.59 एकड भूमि सरप्लस मानते हुऐ भूमि को सरेण्डर करने का आदेश प्रदान किया इसके पश्चात् अपीलार्थी ने राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गई जिसके प्रकरण संख्या 11/84 निर्णय दिनांक 11/06/1987 को खारीज कर दी इसके विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जौधपुर में डी०बी० सिवील रिट पीटीशन सख्या 40/1988 जागीरदार विक्रमादित्य द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त रिट याचिका में स्थगन जारी किया गया उक्त रिट याचिका का निर्णय दिनांक 23/05/2005 को स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11/06/1987 को निरस्त कर दिया व अपील को पुनः दर्ज कर सुनवाई का निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया गया जिसमे जागीरदार द्वारा विक्रमादित्य सिंह पिता मनमथसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र में उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23/05/2005 की प्रति प्रस्तुत करने पर अपील राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण सख्या 4975/2005 दर्ज कर अपील में पुनः सुनवाई की जाकर अपील दिनाक 26/11/2010 स्वीकार की जाकर जागीरदार विक्रमादित्य सिंह द्वारा दिनांक 06/05/1972 को जो विक्रय पत्र निष्पादित किये है उन्हे मान्यता प्रदान की जाकर विकमादित्य सिंह पिता मनमथ सिंह के विरुद्ध सिलिंग कार्यवाही को समाप्त कर अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के प्रकरण संख्या 134/1981 में पारित निर्णय दिनांक 30/12/1983 को निरस्त कर दिया इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा जो दिनांक 06/05/1972 को विक्रमादित्य सिंह पिता मनमथ सिंह जो भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में जो क्रय की है यह भूमि सिलींग प्रभावित भूमि नहीं रही है व सरकार जरिए तहसीलदार भीलवाडा द्वारा नजरसानी प्रस्तुत की गई वह भी दिनांक 09/03/14 को खारीज हो गई इसलिए राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दिनांक 26/11/2010 अतिम हो चुका है किन्तु श्री मनमथ सिंह जी के विरुद्ध चली सिंलीग कार्यवाही में नामान्तरण संख्या 32 दिनांक 27/07/1977 खोला गया जिसके विरूद्ध ग्राम पांसल की साबिक कृषि आराजी नम्बर 1673 वर्तमान कृषि आराजी नम्बर 2669 रकबा 0.15 पन्द्रह बिस्वा भूमि को सिलिंग प्रभावित मानते हुऐ वर्तमान आराजी नम्बर 2669 रकबा 0.15 पन्द्रह बिस्वा में नामान्तरण संख्या 32 दिनांक 27/07/1977 से अंसन्तुष्ठ होकर उपखण्ड अधिकारी न्यायालय भीलवाडा के यहां अपील प्रस्तुत की गई जिसमे प्रकरण संख्या 3/1988 अपील रेवेन्यु अनवान श्यामलाल बनाम राजस्थान राज्य के नाम से दर्ज होकर दिनांक 08/08/1988 को स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब भीलवाडा द्वारा निर्णित नामान्तरण संख्या 32 दिनांक 27/07/1977 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः रिमाण्ड कर इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि भुतपुर्व जागीरदार से जो भूमि साबिक नम्बर की अधिग्रहण की गई उसका नये नम्बरो से पुर्ण मिलान करते हुऐ जो नम्बर सिलींग में अधिग्रहण किये गये है उन्हीं मे नये नम्बर बाबत् नामान्तकरण मजमे आम में खौला जावे इस नामान्तरण से जिन जिन कास्तकारों को हानि पहुंची उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जावे प्रकरण

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

9.2.26

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

रिमाण्ड होकर तहसीलदार भीलावाडा को प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया जिसमे प्रकरण संख्या 14/1988 दर्ज कर तकनिकी कर्मचारियो से पुराने व नये नम्बरो का मीलान हेतु परिशिष्ट (क) (ख) (ग) बनाये गये जिसमे परिशिष्ट (क) के अनुसार खौला गया जिसमे अपीलार्थी की उक्त आराजी नम्बर को भी शामील कर दिया गया भूमि 128–05 पांच बिस्वा बीलानाम (ख) के अनुसार 128/1 कास्तकार के नाम (ग) के अनुसार 186–05 पांच बिस्वा बीलानाम दर्ज हेतु नामान्तरण संख्या 1128 व 1129 खौला जाकर दिनांक 03/02/92 को स्वीकृत किया जिसमे नामान्तकरण संख्या 1129 जो भरा गया उसमे अपीलार्थीगण की क्रय सुदा भूमि जोकि खातेदार विक्रमादित्य सिंह से कंथ की थी जिसका उक्त प्रकरण संख्या 14/1988 से कोई सम्बन्ध नहीं है किन्तु फिर भी अपीलार्थीगण की खरीद सुदा आराजी नम्बर 4551/3135 रकबा 06 छः बीघा 02 दो बिस्वा भूमि को तथाकथित नामान्तकरण संख्या 1129 में अन्य भूमियो के साथ गलत व त्रुटिपूर्वक शामील करने से तथाकथित नामान्तकरण संख्या 1129 दिनांक 03/02/92 स्वीकृत हुआ, उसमे शामील कर दिया जिसमे अपीलार्थीगण तथाकथित नामान्तकरण संख्या 1129 निर्णय दिनांक 03/02/92 से असन्तुष्ठ होकर निम्न आधारो पर यह अपील प्ररस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 1129 निर्णय दिनांक 03/02/1992 जो निर्णय पारित किया जो कि तथ्यो एवं विधी के विपरित होने से अपास्त होने लायक है। अधिनस्थ तहसीलदार भीलवाडा द्वारा जो नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकृत करने का जो निर्णय पारित किया गया उसमे अपीलार्थीगण के पूर्वज भैरू पिता केला गाडरी के नाम पर ग्राम पांसल की कृषि आराजी नम्बर 4551/3135 खातेदारी अधिकार की थी व कब्जे में थी किन्तु तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पारित आदेश की पालना में अपीलार्थीगण के पिता को नहीं सुना गया व न ही नोटिस दिया बिना सुनवाई का अवसर दिये ही उक्त भूमि को नामान्तरण संख्या 1129 निर्णय दिनांक 03/02/1992 मे सिलिंग प्रभावित भूमि मानते हुऐ बीलानाम अंकित कर दिया जबकि अपीलार्थीगण की भूमि सिलिंग प्रभावित भूमि नहीं थी अपीलार्थीगण ने उक्त भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06/05/1972 को जागीरदार विक्रमादित्य सिंह पिता मनमथ सिंह से क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया विक्रमादित्य के विरूद्ध सिलिंग कार्यवाही प्रकरण 39/1975 दिनांक 29/12/1975 को उप–जिलाधीश भीलवाडा द्वारा समाप्त कर कार्यवाही ड्रोप कर दी थी किन्तु उसे राज्य सरकार द्वारा पुनः रिओपन कर दिया जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर के यहां अपील प्रस्तुत की उन्होने भी फेसले को यथावत् रखा उसके विरुद्ध रिट पीटीशन प्रस्तुत की गई जिसमे प्रकरण संख्या 40/1988 राजस्थान उच्च न्यायालय मे दर्ज होकर अन्तरिम स्थगन दिनांक 20/09/1988 को जारी किया गया जिसे दिनाक 06/04/1992 को रिट मे निर्णय तक कन्फर्म किया गया। अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण को पुनः निर्णित करने हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को निर्देशित किया राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या 4975/2005 दर्ज होकर दिनांक 26/11/2010 को अपील स्वीकार होकर सिंलिग कार्यवाही समाप्त कर दी गई किन्तु राजस्व रेकॉर्ड में अपीलार्थीगण का नाम गलत रूप से नामान्तकरण संख्या 1129 में शामिल कर निर्णय दिनांक 03/02/1992 से जरिए अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण निर्णय होने से आराजी नम्बर 4551/3135 रकबा 6 छः बीघा 02 दो बिस्वा के बाबत् अपास्त होने योग्य है जिसे अपीलार्थीगण अपास्त करवाने के अधिकारी है। विवादित भूमि के बाबत् जागीरदार विक्रमादित्य सिंह द्वारा जो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के यहां रिट पिटीशन संख्या 40/1988 विचाराधीन जिसमे दिनांक 20/09/1988 को मुल रिट पिटीशन मे निर्णय तक विवादित भूमि की रेकॉर्ड व मौका की यथास्थिति का आदेश प्रदान किया गया जिसमे जिला कलक्टर भीलवाडा एवं तहसीलदार भीलवाडा को आवश्यक पक्षकार थे इसके बावजुद अधिनस्थ न्यायालय तहसील भीलवाडा एक अन्य पार्टी द्वारा साबिक नामान्तरण संख्या 32 की अपील उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

9.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

भीलवाडा के यहां अपील प्रस्तुत की गई जो स्वीकार होकर रिमाण्ड होकर पुराने व नये नम्बरो का मीलान करते हुऐ पुनः नये सिरे से सिलिंग प्रभावित भूमि का मीलान करते हुऐ पुनः नामान्तरण खौलने का आदेश प्रदान किया गया जबकि मुल रूप से विक्रमादित्य के विरूद्ध चली सिलिंग कार्यवाही के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट संख्या 40/1988 विचाराधीन होकर स्थगन जारी था जो कि मुल रिट पिटीशन मे निर्णय तक जारी था मुल रिट पिटीशन संख्या 40/1988 का निर्णय दिनांक 23/05/2005 को हुआ यानि 23/05/2002 तक राजस्व रेकॉर्ड की व मौका की यथा स्थिति का आदेश था इसके बावजुद अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा द्वारा नामान्तरण संख्या 1129 निर्णय दिनांक 03/02/1992 को आराजी नम्बर 4551/3135 रकबा 06 छः बीघा 02 दो बिस्वा भूमि को सिलींग प्रभावित मानते हुऐ बीलानाम सरकार अंकित कर दिया इस प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बावजुद त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित कर उक्त भूमि के बाबत् नामान्तरण संख्या 1129 गलत निर्णय पारित किया है अपीलार्थीगण आराजी नम्बर 4551/3135 रकबा छः बीधा 02 दो बिस्वा भुमि में अपीलार्थीगणन ने विकमादित्य सिंह से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06/05/1972 को क्रय की है जिससे प्रभावित पक्षकार है तथा अंतिम रूप से राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 26/11/2010 को अपीलार्थीगण के विक्रय पत्र दिनांक 06/05/1972 को विधिवत मान्यता प्रदान की जाकर सिलिग प्रभावित भूमि से मुक्त माना गया अतः तथाकथित नामन्तरण एवं 1129 में अंकित अपीलार्थीगण की भूमि आराजी नम्बर 4551/3135 रकबा 6 छः बीघा 02 दो बिस्वा के बाबत् निरस्त करवा राजस्व रेकॉर्ड मे पूर्व की स्थिति कायम करवा अपीलार्थीगण अपने नाम पर अंकित करवाने के अधिकारी है। उक्त विवादित भूमि आराजी नम्बर 4551/3135 रकबा 6.02 छः बीधा दो बिस्वा भूमि में साबिक आराजी नम्बर 1669 थे जिसमें से अपीलार्थीगण संख्या 01 से 03 के पिता व अपीलार्थीगण संख्या 04 के पत्ति श्री भैरू पिता केलाजी गाडरी ने उक्त भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06/05/1972 को साबिक आराजी नम्बर 1669 में से 7 सात बीधा 4 चार बिस्वा भूमि क्रय की जिसमें नये आराजी नम्बर 4551/3135 रकबा 6.02 छः बीधा दो बिस्वा कायम हुई है उक्त भूमि के बाबत राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण संख्या 11/84 निर्णय दिनांक 11/06/1987 में विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विक्रमादित्य सिंह बनाम राजस्थान राज्य में अनुदान से राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रकरण संख्या 40/88 में रिट पिटीशन दायर विचाराधीन होकर उसमें दिनांक 20/09/1988 को विवादित भूमि रेकार्ड व मौका की यथास्थिति का आदेश जारी किया गया स्थगन आदेश निरस्तर जारी था जिसे दिनांक 09/04/1992 को मुल रिट पीटीशन में निर्णय तक कन्फर्म किया गया इस प्रकार मूल रिट पीटीशन का निर्णय 23/05/2005 को किया गया जिसमें रिट पीटीशन स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः राजस्व मण्डल को निर्णित करने का आदेश प्रदान किया गया चूकि उक्त भूमि में बाबत अधिनस्थ न्यायालय तहसीलादार भीलवाडा द्वारा नामान्तरण संख्या 1129 निर्णय दिनांक 03/02/1992 को निर्णित किया उस वक्त अर्थात उक्त अवधि में विवादित भूमि में बाबत राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 40/88 के स्थगन आदेश जारी था इसके बावजूद गलत रूप से तथाकथित नामान्तरण संख्या 1129 दिनांक 03/02/1992 को निर्णत किया जोकि एक दुषित कार्यवाही होकर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/09/1988 की अवहेलना हुई है अतः नामन्तरण संख्या 1129 दिनांक 03/02/1992 को अपीलार्थीगण अपनी भूमि आराजी नम्बर 4551/3135 रकबा 6.02 छः बीघा दो बिस्वा में बाबत निरस्त करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमि को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थगन का आदेश जारी होने के बावजुद उक्त भूमि को नामान्तरण संख्या 1129 दिनांक 03/02/1992 को गलत रूप से बीलनाम की गई तथा दिनांक 23/05/2005 को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

9.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

दिया निर्णय की प्रति प्रस्तुत की जाकर प्रकरण दर्ज कर पुनः निर्णय पारित हो तब तक 4 चार माह तक विवादित भूमि की यथास्थिति रेकार्ड व मौका की बनाई रखे उसके पश्चात प्रार्थी स्थगन हेतु आवेदन अधिनस्थ न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां प्रस्तुत कर प्राप्त करे किन्तु इस प्रकरण में निर्णय दिनांक 23/05/2005 को हुआ जिसमें चार माह तक का रेकार्ड व मौका यथास्थिति का आदेश बनाये रखने का राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान किया गया इसके बावजूद भी अन्य बिलानाम भूमि के साथ इस भूमि को शामिल करते हुए स्थगन के बावजूद भी नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम पर अकिंत कर दिया जो कि अवैध व शुन्य प्रभावी है इस भूमि से नगर विकास न्यास को कोई अधिकार सृजित नहीं होते है अतः तथाकथित नामान्तरण संख्या 1129 दिनांक 03/02/1992 उक्त भूमि के बाबत निरस्त होने लायक है। तथाकथित विवादित नामान्तरण संख्या 1129 दिनांक 03/02/1992 को निर्णित किया किन्तु उक्त नामान्तरण को अपीलार्थीगण पुर्व में इसलिए चुनोती नहीं दे पाये की उक्त भूमि में बाबत् अपीलार्थीगण के पिता भैरू पिता केला ने जागीरदार विक्रमादित्य सिंह से दिनांक 06/05/1972 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए क्रय की जिसके बाबत जोधपुर में मामला विचाराधीन था जो रिमांड होकर राजस्व मण्डल अजमेर को प्राप्त हुआ राजस्थान उच्च न्यायालय निर्णय दिनंक 23/05/2005 की पालना में प्रकरण संख्या 4975/2005 अपील दर्ज हुई जिसका निर्णय 26/11/2010 को पारित किया गया जिसमें विक्रमादित्य के विरूद्ध सिलिंग कार्यवाही समाप्त कर अपीलार्थीगण के पक्ष में निस्पादित विक्रय पत्र दिनांक 06/05/1972 को मान्यता प्रदान की गयी दिनांक 26/11/2010 के निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से नजरसानी (रिव्यू) का आवेदन प्रस्तुत किया जो दिनांक 09/03/2014 को खारिज हो गया इसके पश्चात अन्तिम रूप से 26/11/2010 राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय अन्तिम रहा जिसकी पालना हेतु अपीलार्थीगण ने तहसीलदार भीलवाडा व उच्च अधिकारियो को आवेदन प्रस्तुत किया किन्तु अपीलार्थीगण के नाम पर अंकित नहीं हुई इसलिए तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पुर्ण जांच कर यह हिदायत दी गयी की उक्त भूमि विक्रमादित्य के विरूद्ध चली सिलिंग कार्यवाही में पारित आदेश से बिलानाम अकिंत नहीं हुई बल्कि एक अन्य प्रकरण में साबिक नामान्तरण संख्या 32 की अपील होने पर इस भूमि को भी नये नामान्तरण संख्या 1129 दिनांक 03/02/1992 को खोला गया जिसमे बिना किसी आधार के शामिल कर स्वीकृत कर लिया जो कि गलत रूप से भूमि को मिलाकर नामान्तरण खोला है इस नामान्तरण को निरस्त होने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में भूमि में अंकित की जा सकेगी जिसमे अपीलार्थीगण ने सम्पूर्ण राजस्व रेकॉर्ड प्राप्त करने पर ज्ञान हुआ कि विक्रमादित्य के विरूद्ध चली सिलींग न्यायालय के निर्णयो से बीलानाम दर्ज नहीं हुई बल्कि किसी अन्य प्रकरण के साबिक नामान्तकरण संख्या 32 की अपील होने पर अन्य भूमि के साथ अपीलार्थीगण की खरीद सुदा भूमि आराजी नम्बर 4551/3735 को गलतरूप से शामीलकर तथाकथित नामान्तकरण संख्या 1129 दिनांक 03/02/92 को स्वीकृत कर दिया नामान्तरण संख्या 1129 की अपील अपीलार्थीगण पूर्व मे इसलिए प्ररस्तुत नहीं करपाये कि अपीलार्थी की क्रय सुदा उक्त आराजी नम्बर 4551/3735 रकबा 06 छः बीघा 02 दो बिस्वा भूमि विक्रमादित्य सिंह के विरूद्ध सीलींग प्रकरण विचाराधीन था जिसका अंतिम निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 20/11/2010 को हुआ जिसने सीलींग कार्यवाही समाप्त की गई जिसकी नजरसानी (रिव्यू) प्ररस्तुत हुई जो की दिनांक 09/03/14 को खारीज हुई व उक्त भूमि जो बीलानाम हुई तत्पश्चात नगर विकास न्यास के नाम दर्ज कर दी जबकि कब्जा आज दिन तक नियमित रूप से अपीलार्थीगण का ही चला आ रहा है तथा उक्त भूमि को राजस्व रेकॉर्ड में अपीलार्थीगण के नाम पर अंकित कराया जाने हेतु कई बार आवेदन तहसीलदार भीलवाडा के यहां व उपखण्ड अधिकारी को प्ररस्तुत किये जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अपीलार्थीगण की भूमि विक्रमादित्य सिंह के विरूद्ध चली सिलींग कार्यवाही में बीलानाम नहीं होकर एक अन्य प्रकरण

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

9.2.26

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

में पुराने व नये नम्बरो का मीलान करते समय गलत अंकन होने से तथाकथित नामांन्तरण मे उक्त भूमि को शामील किया है इसलिए तथाकथित नामान्तरण संख्या 1129 की प्रमाणित प्रति दिनांक 04/11/2022 को प्राप्त की अतः अन्य राजस्व न्यायालय मे कार्यवाही विचाराधीन होने से पूर्व में अपील प्ररस्तुत नहीं हो पायी इसके लिए दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्ररस्तुत है इसलिए दिनांक 03/02/1992 से दिनाक 03/12/2022 तक राजस्व न्यायालय में कार्यवाही में विचाराधीन होने से समय व्यतीत हुआ है जिसे क्षम्यकरण (कण्डोन) किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना आवश्यक है जिसके लिए दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का आवेदन अलग से प्रस्तुत है। विवादति भूमि के बाबत तथाकथित नामान्तरण संख्या 1129 दिनांक 03/02/1992 में बाबत निर्णय तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पारित किया जिसकी अपील को सुनवाई को श्रवणधिकार व मैत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से अपील श्रीमान के यहां पेश है।

अतः प्रार्थना है कि :– अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 1129 दिनांक 3/2/1992 अपीलार्थीगण की कृषि आराजी नम्बर 4551/3735 रकबा 6 छः बीघा 02 दो बिस्वा के बाबत् निरस्त किया जाकर उक्त भूमि अपीलार्थीगण के पिता भैरू पिता केला के नाम रखी जाकर विरासत से अपीलार्थीगण वारीसान होने से अपीलार्थीगण के नाम दर्ज कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन उपरान्त अपीलार्थीगण अधिवक्ता व प्रत्यर्थीगण राजकीय पेरोकार की दलीलों पर बहस सुनी गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस अनुसार अपीलार्थीगण का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 6/5/1972 की क्रय सुदा कृषि भूमि वाके ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा मे स्थित है जिसके कृषि आराजी नम्बर 4551/3135 रकबा 06 बीघा 02 दो बीस्वा भुमि स्थित है। जिसके साबिक आराजी नम्बर 1669 रकबा 07 बीघा भूमि ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल में स्थित है जिसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया जिसका नामान्तकरण खोला जाकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि अपीलार्थीगण 01 से 03 के पिता व 04 के पति भेरू पिता केला जी गाडरी के नाम पर राजस्व अभिलेखो मे खातेदारी अधिकार के रूप मे भूमि दर्ज की गई है जो कि अपीलार्थीगण के पिता के नाम पर दर्ज होकर चली आ रही है, जिसकी ताईद मे राजस्व रेकॉर्ड व विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत है। उक्त वर्णित ग्राम पांसल की साबिक आराजी नम्बर 1669 रकबा 07 सात बीघा 02 दो बिस्वा जिसके नये नम्बर 4551/3135 रकबा 06 छः बीघा 02 दो बिस्वा भूमि को जागीरदार विक्रमादित्य सिंह पिता मनमथसिंह से दिनांक 6/5/1972 को क्रय किया तभी से उक्त भूमि पर कब्जा कास्त चला आ रहा है व उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड मे चली आ रही है किन्तु उक्त भूमि को ग्राम पांसल के जागीरदार जो कि विक्रेता विक्रमादित्य के पिता थे जिनके विरूद्ध चली सिलिंग की कार्यवाही के तहत नामान्तकरण संख्या 1129 दिनांक 3/2/1992 खोला जाकर स्वीकृत किया जबकि विवादित आराजी नम्बर विक्रमादित्य पिता मनमथसिंह की स्वतंत्र खातेदारी की थी जिसे तहसीलदार भीलवाडा द्वारा गलत रूप से मनमथसिंह की भूमि मानकर गलत रूप से शामील कर नामान्तकरण संख्या 3/2/1992 को स्वीकृत किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है जबकि नामान्तकरण संख्या 1129 निर्णय दिनांक 3/2/1992 में शामील की गई जिसके बाबत् नामान्तकरण संख्या 1129 को निरस्त किया जाकर भूमि भेरू पिता केला के नाम पर बहाल की जाना आवश्यक है भेरू पिता केला की मृत्यु होने से उनके वारीसान के नाम पर भूमि की जाना आवश्यक व न्याय संगत है। यह कि विवादित भूमि अपीलार्थीगण के पिता के

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

9.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नाम पर खातेदारी अधिकार की थी जिसके बाबत् नामान्तकरण संख्या 1129 दिनांक 3/2/1992 को निर्णित किया जिसमे अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया इसलिए खातेदार अपना पक्ष जवाब साक्ष्य व रेकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर पाया जबकि किसी खातेदार की भूमि को राजस्व रेकॉर्ड के हटाने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था इस प्रकार न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तो की अवहेलना हुई है इसके अतिरिक्त दिनांक 3/2/1992 को नामान्तकरण संख्या 1129 निर्णित किया उस वक्त राजस्थान उच्च न्यायालय मे प्रस्तुत रिट पीटिशन संख्या 40 / 88 विचाराधीन थी जिसमे दिनांक 1/9/1988 को मुल रिट पीटीशन के निर्णय रेकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाई रखने हेतु स्थगन जारी था इसके बावजुद तहसीलदार भीलवाडा द्वारा नामान्तकरण संख्या 1129 दिनांक 3/2/1992 को आराजी नम्बर 4557/3135 रकबा 6 छः बीघा 02 दो बिस्वा के बाबत् निर्णित किया गया जो कि उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 1/9/1988 की अवहेलना हुई है अतः नामान्तकरण संख्या 1129 निर्णय दिनांक 3/12/1992 को निरस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। उपरोक्त वर्णित भूमि जो कि भेरू पिता केला के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड मे अंकित थी जिसे बिना किसी आधार के सिलिंग प्रभावित भूमि मानकर तहसीलदार के यहां 14/1988 में जागीरदार मनमथसिंह के विरूद्ध चली सिलिंग कार्यवाही मे प्रार्थीगण के पूर्वज भेरू पिता केला गाडरी द्वारा विक्रमादित्य सिंह पिता मनमथसिंह से दिनांक 6/5/1972 को क्रय की भूमि को मनमथसिंह के विरूद्व चली सिलिंग कार्यवाही मे शामील कर प्रकरण संख्या 14/88 में दिनांक 11/9/1988 को निर्णय पारित किया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 1129 दिनांक 21/9/1988 को स्वीकृत करने का निर्णय पारित कर राजस्व रेकॉर्ड मे अमल करने का आदेश दिनांक 3/2/1992 को पारित कर दिया जो कि एक त्रुटिपूर्ण निर्णय व गलत रूप से उक्त भूमि को सिलिंग प्रभावित माना जाकर बीलानाम अंकित किया गया जिसमे प्रार्थीगण को नोटिस व सुचना नहीं दी गई जबकि प्रार्थीगण की उक्त आराजी नम्बर 4551/3135 रकबा 6.02 छः बीघा दो बिस्वा बाबत् अन्य भूमि के साथ जागीरदार विक्रमादित्य सिंह के विरूद्ध चली सिलिंग कार्यवाही के प्रकरण संख्या 134/1981 मु० रे० अपर जिला कलक्टर भीलवाडा के यहां कार्यवाही चली जिसमे दिनांक 30/12/1983 को निर्णय हुआ जिसमे विक्रमादित्य सिंह भी 8.59 एकड भूमि को सरप्लस मानते हुए सरेण्डर करने का आदेश प्रदान किया जिसके विरुद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में अपील हुई जिसमे अतिरिक्त कलक्टर भीलवाडा का निर्णय 30/12/1983 को यथावत् रखा राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रकरण संख्या 11/1984 विकमाद्वित्य सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11/6/1987 के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में विकमाद्वित्य सिंह व कास्तकारान की और से रिट पीटीशन राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसमे रिट पीटिशन संख्या 40/88 कायम हुए जिसके अन्तरिम स्थगन का आदेश की दिनांक 1/9/1988 को विवादित भूमि के बाबत् राजस्व रेकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जारी किया गया जो कि रिटपीटीशन के निर्णय दिनांक 23/5/2023 तक जारी रहा इसके बावजुद तहसीलदार भीलवाडा एवं राजस्व कर्मचारियो द्वारा न्यायालय की अवहेलना करते हुऐ उक्त भूमि को नामान्तकरण संख्या 1129 निर्णय दिनांक 3/2/1992 के जरिए उक्त भूमि को बीलानाम कर दी तत्पश्चात् उक्त भूमि को 27/11/2005 को नगर विकास न्यास के नाम पर दर्ज कर दी जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश की अवहेलना हुई मुल रिटपीटीशन को राजस्थान उच्च न्यायालय जौधपुर द्वारा दिनांक 23/5/2005 को रिटपीटीशन स्वीकार की जाकर राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रकरण संख्या 11/84 के निर्णय दिनांक 11/6/1987 को निरस्त कर दिया व प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर मे पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जिसमे प्रकरण संख्या 4975 / 2005 दर्ज होकर पुनः सुनवाई की गई जिसमे अपीलार्थी विक्रमादित्य की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 26/11/2010 को पारित किया जिसमे विक्रमादित्य के विरूद्ध सिलिंग

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

9.2.26

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कार्यवाही समाप्त कर दी व प्रार्थीगण के पिता भेरू पिता केला जी गाडरी के द्वारा दिनांक 6/5/1972 को जो भूमि साबिक आराजी नम्बर 1669 रकबा 07 बीघा 02 दो बिस्वा मे वर्तमान आराजी नम्बर 4551/3135 रकबा 06 बीघा 02 दो बिस्वा यानि 1.5427 हैक्टयर भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की जिसे विक्रयपत्र को विधिवत मान्यता प्रदान की गई सिलिंग कार्यवाही को समाप्त कर दी राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 26/11/2010 के विरूद्ध कोई अपील व स्थगन नही है नजरसानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ जिसमे प्रकरण संख्या 9412/12 सरकार बनाम विक्रमादित्य प्रस्तुत हुआ जो कि दिनांक 20/3/2014 को खारीज हुआ जिससे 26/11/2010 का निर्णय अंतिम हो चुका है।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थीगण की स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा द्वारा नामान्तकरण संख्या 1129 निर्णय दिनांक 3/2/1992 के आराजी नम्बर 4557/3135 रकबा 6.02 छः बीघा दो बिस्वा बाबत् निरस्त किया जाकर भूमि अपीलार्थीगण के नाम पर दर्ज कराई जाने हेतु तहसीलदार भीलवाडा को निर्देश प्रदान कराया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील लगभग 34 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई है एवं उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील नामान्तरण के लगभग 34 वर्ष किए जाने पश्चात् इस संबंध में कोई समुचित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए है। इस प्रकार अपीलाण्ट की अपील मियाद बाहर होने से अस्वीकार योग्य ठहरती हैं। प्रार्थी घोषणात्मक वाद द्वारा सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा व सचिव,नगर विकास न्यास को प्रेषित की जाए।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9.2.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा